भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2614

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बार-बार उपयोग

2614. श्री तमिलसेल्वन थंगाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के लगातार उपयोग से पर्यावरण पर और मानव स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है और यह मानव जीवन को भी समाप्त कर देता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कभी पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के लगातार उपयोग के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पर्यावरण पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के लगातार उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के वैकल्पिक मार्ग खोजे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) से (घ): अनुशंसित मात्रा के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक हानिकारक नहीं होते हैं। सरकार मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के अंतर्गत खेतों के सॉइल हेल्थ कार्ड (एस.एच.सी.) प्रदान किए जाते हैं ताकि उत्पादकता एवं मिट्टी की उर्वरता में सुधार हेतु संतुलित एवं समन्वित पोषक तत्व

प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। मिट्टी के नमूनों को मानक प्रक्रियाओं के अनुसार प्रोसेस किया जाता है तथा पी.एच., विद्युत चालकता, ऑर्गेनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों (जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज़ एवं बोरॉन) जैसे मानकों के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है। किसानों के खेतों का निदानात्मक सॉइल हेल्थ आकलन समय-समय पर किया जाता है ताकि प्रत्येक तीन वर्ष में कम-से-कम एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड (एस.एच.सी.) जारी किए जा सकें। वर्ष 2014-15 से अब तक कुल 25.61 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड सृजित किए गए हैं। इस योजना के आरंभ से अब तक, योजना की अंतर्गत 1970 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। देशभर में सॉइल हेल्थ कार्ड पर 93,781 कृषक प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन तथा 7,425 कृषक मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति, कीटनाशकों का पंजीकरण उनकी प्रभावकारिता तथा मानव, पशु एवं पर्यावरण के प्रति सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करती है। अनुमोदित लेबल दावों एवं लीफलेट्स के अनुसार प्रयुक्त कीटनाशकों की हानिकारक होने की संभावना नहीं रहती हैं। इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों के सतत उपयोग हेतु उनकी सुरक्षा का आकलन करने के लिए समय-समय पर तकनीकी समीक्षा की जाती है।

(ङ) और (च): भारत सरकार ने इन उर्वरकों की गुणवत्तापूर्ण बिक्री सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में ऑर्गेनिक उर्वरक, बायो-उर्वरक, डी-ऑयल्ड केक, ऑर्गेनिक कार्बन संवर्धक तथा नैनो उर्वरक अधिसूचित किए हैं। सरकार, सतत कृषि एवं मानव कल्याण के लिए रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। देश में जैविक खेती का क्रियान्वयन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में 'परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)' के माध्यम से तथा सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.)' के माध्यम से किया जाता है।

जैविक खेती को योजनाओं के अंतर्गत किसानों को उत्पादन से मार्केटिंग तक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, देशभर में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.) को दिनांक 25.11.2024 को केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। यह मिशन सततता, जलवायु अनुकूलन तथा सुरक्षित खाद्य उत्पादन की दिशा में वैज्ञानिक रूप से समर्थित इकोलॉजिकल दृष्टिकोणों के माध्यम से कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है।

*****